eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 01, Issue 01, Jan 2022

भारत में पिछड़ा समाज और उच्च शिक्षा

[1]डा0 मनीषा
[1]सहायक प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान, एस0 एस0 डिग्री कालेज कानपुर, उ0प्र0

Abstract

भारत में उच्च शिक्षा का विस्तार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तेज़ी से हुआ, किंतु सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना अब भी एक चुनौती बना हुआ है। यह शोध पत्र स्वतंत्रता के बाद से 2021 तक के कालखंड में पिछड़े समाज की उच्च शिक्षा में सहभागिता, सरकारी नीतियाँ, आरक्षण व्यवस्था, सामाजिक बदलाव और चुनौतियों का विश्लेषण करता है। इसके माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े समाज को किस हद तक समावेशिता और अवसर प्राप्त हुए हैं।

मुख्य शब्द– पिछड़ा समाज, उच्च शिक्षा, आरक्षण नीति, सामाजिक न्याय, शैक्षिक असमानता, अनुसूचित जाति, जनजाति, नीति विश्लेषण, समावेशी शिक्षा

Introduction

भारत में शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं रही, बल्कि सामाजिक सुधार और समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी उपकरण के रूप में उभरी है। विशेषतः उच्च शिक्षा का क्षेत्र सामाजिक गतिशीलता, आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक जागरूकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत के निर्माण के साथ ही संविधान निर्माताओं ने यह संकल्प लिया कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा के माध्यम से मुख्यधारा में लाया जाएगा। इस प्रयास की बुनियाद रखी गई सामाजिक न्याय और समान अवसर के सिद्धांतों पर। अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वे वर्ग जो उपर्युक्त दोनों से भिन्न हैं परंतु समान रूप से वंचित। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय को स्थापित करने हेतु अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 46 के अंतर्गत विशेष व्यवस्थाएँ की गईं, जिनका उद्देश्य पिछड़े समाज को शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना था। इन वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आरक्षण, छात्रवृत्ति, और विशेष कोचिंग जैसी योजनाएँ चलाई गईं। उच्च शिक्षा वह स्तर है जहाँ व्यक्ति अपने ज्ञान, कौशल और चेतना का विस्तार करता है। यह केवल व्यक्तित्व विकास का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना को चुनौती देने और बदलने का एक माध्यम भी है। पिछड़े समाज के लिए उच्च शिक्षा सामाजिक न्याय की प्राप्ति का एक प्रमुख मार्ग बनकर उभरी है।

शोध की आवश्यकता और प्रासंगिकता– हालाँकि कई योजनाएँ, आयोग, और सुधार लाए गए हैं, फिर भी पिछड़े समाज की भागीदारी अभी भी उच्च शिक्षा के संस्थानों में अपेक्षाकृत कम बनी हुई है। यह शोध पत्र 1947 से 2021 तक के कालखंड में यह विश्लेषण करेगा कि

पिछड़े समाज की उच्च शिक्षा तक पहुँच किस हद तक संभव हो सकी है

किन नीतियों और योजनाओं का क्या प्रभाव रहा

और आज भी कौन–सी चुनौतियाँ बनी हुई हैं

भारत में उच्च शिक्षा का विकास (1947–2021)– ब्रिटिश शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था का मूल उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों के लिए कर्मचारी तैयार करना था। उच्च शिक्षा केवल नगण्य वर्ग तक सीमित थी। 1857

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 01, Issue 01, Jan 2022

में तीन विश्वविद्यालय कृबंबई, मद्रास और कलकत्ता स्थापित हुए, परंतु इनका उद्देश्य भारतीय समाज को शिक्षित करना नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था को सुविधा देना था। इस काल में शिक्षा के क्षेत्र में असमानता बहुत अधिक थी। समाज के निचले तबके, विशेषतः अनुसूचित जाति और जनजाति, उच्च शिक्षा से लगभग वंचित थे। लार्ड मैकॉले की शिक्षा नीति ने अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाकर सामाजिक विभाजन और गहरा कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 के बाद भारत सरकार ने शिक्षा को सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के एक अभिन्न अंग के रूप में अपनाया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग (1948–49) ने उच्च शिक्षा की समीक्षा की और सुझाव दिया कि शिक्षा को लोकतांत्रिक, समतामूलक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संचालित किया जाए। 1950 में संविधान लागू होते ही शिक्षा के अधिकार, समता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना उच्च शिक्षा को विनियमित करने के लिए की गई। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) से ही उच्च शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। द्वितीय और तृतीय योजना में इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का विकास किया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74) में पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्तियों और आवासीय सुविधाओं की शुरुआत हुई। भारत में उच्च शिक्षा के विकास में कई केंद्रीय संस्थाओं की भूमिका रही है, इन संस्थाओं ने उच्च शिक्षा को केवल अभिजात्य वर्ग के लिए न रखकर, इसे व्यापक सामाजिक समूहों के लिए सुलभ बनाने में योगदान दिया।

भारत में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा हेतु अनेक संस्थान स्थापित किए गए जिनमें पिछड़े समाज के विद्यार्थियों को अवसर देने हेतु आरक्षण एवं सहायता की व्यवस्था की गई। JNU, BHU, AMU, DU जैसे विश्वविद्यालयों ने सामाजिक अध्ययन एवं दलित चिंतन को बढ़ावा दिया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ और उनका प्रभाव–

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968– समान अवसर और प्राथमिकता पिछड़े वर्गों को शिक्षा में देने का प्रावधान। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और शिक्षण सुविधाएँ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (संशोधित 1992)– दलित और जनजातीय छात्रों के लिए विशेष ध्यान।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020– समान अवसर, लचीलापन, बहुभाषिक शिक्षा, और डिजिटलीकरण पर बल। विशेष रूप से सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की भागीदारी को बढ़ाने हेतु समर्पित। शिक्षा में जेंडर, जाति, और सामाजिक बाधाओं को तोड़ने की प्रतिबद्धता।

1947 से लेकर 2021 तक भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण विस्तार हुआ है। संस्थाओं, नीतियों और योजनाओं ने उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने का प्रयास किया है। लेकिन अब भी यह देखा जाना शेष है कि क्या यह विकास सभी सामाजिक वर्गों, विशेषतः पिछड़े समाज तक समान रूप से पहुँच पाया है या नहीं।

पिछड़े समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति– भारत में पिछड़े समाज की स्थिति केवल शैक्षिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर रही है। सदियों तक जातीय व्यवस्था के तहत इन वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से हाशिये पर रखा गया। उच्च शिक्षा तक पहुँच को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक गरीबी, जातीय भेदभाव, संसाधनों की कमी, और सामाजिक बहिष्करण, इसी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। वर्णव्यवस्था के तहत शूद्र, अछूत और जनजातियाँ शिक्षा से पूर्णतः वंचित रखी गईं। शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तक सीमित था। 19वीं शताब्दी में जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और डॉ. आंबेडकर जैसे समाज सुधारकों ने सामाजिक जागरूकता की

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 01, Issue 01, Jan 2022

शुरुआत की। शिक्षित वातावरण का अभाव में पिछड़े वर्गों में उच्च शिक्षित माता–पिता की संख्या बहुत कम होती है। ग्रामीण परिवेश, जातिगत हिंसा, और आत्म–विश्वास की कमी भी उच्च शिक्षा में रुकावट बनते हैं। एकल विद्यालयों, खराब शिक्षण गुणवत्ता और संसाधनहीनता के कारण विद्यार्थियों को शुरुआत से ही नुकसान होता है।

पिछड़े समाज की बालिकाएँ दोहरी वंचना का सामना करती हैं, जाति और लिंग आधारित। बाल विवाह, घरेलू ज़िम्मेदारियाँ और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उन्हें शिक्षा से दूर करती हैं। केवल 2021 तक] SC@ST@OBC वर्ग की महिलाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों का प्रतिशत कुल महिलाओं की तुलना में बहुत कम था। शहरी क्षेत्रों में संसाधन, विद्यालय, पुस्तकालय, इंटरनेट आदि की उपलब्धता ग्रामीणों की तुलना में अधिक है। पिछड़ा समाज मुख्यतः ग्रामीण भारत में निवास करता है, जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक सपना मात्र है। परिणामस्वरूप, उच्च शिक्षा तक पहुँच में भारी असमानता है।

छात्रों को विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कई बार शिक्षकों और सहपाठियों द्वारा उनकी क्षमताओं पर प्रश्नचिह्न लगाया जाता है। यह मानसिक अवसाद, आत्महत्या और पढ़ाई से विमुखता को जन्म देता है। हम पढ़ते नहीं क्योंकि हमारे ऊपर सामाजिक दृष्टि का बोझ होता है। COVID–19 के समय यह स्पष्ट हुआ कि पिछड़ा समाज डिजिटल युग के लाभ से वंचित है। स्मार्टफोन, इंटरनेट और कंप्यूटर की कमी ने लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा से दूर कर दिया। 2020 में एक अनुसूचित जाति की छात्रा ने इंटरनेट न होने के कारण ऑनलाइन परीक्षा नहीं दे पाई और आत्महत्या कर ली। यह घटना तमिलनाडु की थी। सरकारी आंकड़ों और रिपोर्टों के प्रमुख निष्कर्ष हैं कि NSSO (2018) केवल 6% SC-ST परिवारों में ही इंटरनेट की सुविधा थी। AISHE (2020) विश्वविद्यालयों में SC@ST@OBC छात्रों की भागीदारी अब भी कुल छात्रों की अपेक्षा कम है। भारत सरकार की सामाजिक न्याय रिपोर्ट (2021) पिछड़े समाज को उच्च शिक्षा तक पहुँचाने हेतु योजनाएँ हैं, पर क्रियान्वयन कमजोर है। पिछड़ा समाज आज भी सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से संघर्षशील है। शिक्षा के अधिकार का संवैधानिक प्रावधान तब तक प्रभावी नहीं हो सकता, जब तक मूलभूत आवश्यकताओं, सम्मानजनक सामाजिक व्यवहार और प्रेरणादायक वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित न की जाए। उच्च शिक्षा तक इन वर्गों की पहुँच तभी संभव है जब वंचना के इन बहुपरतीय कारणों को समझकर नीतिगत हस्तक्षेप किया जाए।

आरक्षण नीति और उसका उच्च शिक्षा पर प्रभाव– आरक्षण भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा को लागू करने का एक संवैधानिक औज़ार है। यह विशेष अवसर उन वर्गों को प्रदान करता है जो ऐतिहासिक रूप से शिक्षा, रोजगार और समाज की मुख्यधारा से वंचित रहे हैं। विशेषकर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश का एक नया द्वार खोला है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 46, और 340 में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 15(4) राज्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 46 समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक हितों को बढ़ावा देने की बात। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की पहचान और उनकी स्थिति पर आयोग का गठन।

मंडल आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग– मंडल आयोग (1979) की सिफारिशों के अनुसार OBC वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की गई, जिसे 1990 में लागू किया गया। मंडल आयोग के लागू होने से पिछड़ा समाज उच्च शिक्षा में अधिक संख्या में आने लगा।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 01, Issue 01, Jan 2022

आरक्षण व्यवस्था ने पिछड़े समाज की उच्च शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाया है, परंतु चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं। विश्वविद्यालयों और IIT@IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में SC@ST@OBC छात्रों की भागीदारी में वृद्धि हुई है। AIIMS, DU, BHU, JNU जैसे संस्थानों में प्रवेश में विविधता आई है। कई राज्यों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में आरक्षण लागू कर पिछड़े समाज के छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। सांकेतिक प्रतिनिधित्व से वास्तविक प्रतिनिधित्व की ओर अब पिछड़े वर्ग के लोग शिक्षक, वैज्ञानिक, शोधकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं। सामाजिक सम्मान में वृद्धि, शिक्षा से समाज में स्वीकार्यता और आत्मसम्मान में सुधार हुआ है। नई पीढ़ी को प्रेरणा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दलित और पिछड़े वर्ग के लोग रोल मॉडल बने हैं। क्रीमी लेयर की समस्या – OBC वर्ग में क्रीमी लेयर (आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग) अधिक लाभ उठा रहे हैं, जिससे वास्तव में ज़रूरतमंद पीछे रह जाते हैं। NEP 2020 में प्रत्यक्ष रूप से आरक्षण शब्द का उल्लेख कम है, लेकिन सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को विशेष समर्थन, छात्रवृत्तियाँ, और बुनियादी संसाधनों की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। आरक्षण ने उच्च शिक्षा तक पहुँच के दरवाज़े खोले हैं, परंतु इसका पूर्ण लाभ तब मिलेगा जब प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दी जाए। मानसिक भेदभाव और सामाजिक पूर्वाग्रह को समाप्त किया जाए। छात्रवृत्तियाँ, छात्रावास, कोचिंग जैसी सहायक सुविधाएँ बेहतर हों। आरक्षण केवल सीटों का वितरण नहीं है, यह सामाजिक सुधार और ऐतिहासिक अन्याय के परिमार्जन का एक माध्यम है। पिछड़े समाज की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ी है, लेकिन सामाजिक न्याय की संपूर्ण प्राप्ति अभी शेष है। शिक्षा का लक्ष्य तब पूर्ण होगा जब समान अवसर, समान संसाधन, और समान सम्मान हर वर्ग को प्राप्त हो।

प्रमुख समस्याएँ और चुनौतियाँ– भारत में पिछड़े समाज की उच्च शिक्षा तक पहुँच में अनेक बाधाएँ हैं। यद्यपि संवैधानिक प्रावधान, आरक्षण नीति, और अनेक सरकारी योजनाएँ इस वर्ग को आगे लाने का प्रयास कर रही हैं, फिर भी वास्तविकता यह है कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और संस्थागत बाधाएँ अब भी इस समुदाय को समान अवसरों से वंचित कर रही हैं। पिछड़े वर्गों के अधिकांश छात्र आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए फीस, पुस्तकें, रहने–खाने की व्यवस्था आदि उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। कई बार विद्यार्थी पढ़ाई छोड़कर परिवार की आर्थिक मदद के लिए श्रमिक बन जाते हैं। ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में अच्छे कॉलेज या विश्वविद्यालयों की कमी। संसाधनों की न्यूनता, लाइब्रेरी, लैब, इंटरनेट, शिक्षकों की कमी। विद्यालय स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव के कारण उच्च शिक्षा के लिए आधार ही नहीं बन पाता। विश्वविद्यालय परिसरों में जातिगत टिप्पणियाँ, भेदभाव और सामाजिक बहिष्करण। आत्महत्या जैसे मामलों में वृद्धि (जैसे रोहित वेमुला प्रकरण)। कई छात्र आत्मग्लानि, हीन भावना और सामाजिक अलगाव का शिकार होते हैं। पिछड़े वर्गों के छात्र सही मार्गदर्शन, करियर काउंसलिंग, और अवसरों की जानकारी से वंचित रहते हैं। कोचिंग या परामर्श सेवाओं की अनुपलब्धता। उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्तियों और संस्थानों की गुणवत्ता की जानकारी कम होती है। COVID–19 के बाद डिजिटल माध्यमों से शिक्षा महत्वपूर्ण हुई, लेकिन पिछड़े समाज के अधिकतर छात्र स्मार्टफोन, इंटरनेट और कंप्यूटर सुविधाओं से वंचित हैं। इससे ऑनलाइन कक्षाओं, फॉर्म भरने, रिसर्च तक पहुँच आदि में बाधा आती है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के केवल 15 प्रतिशत परिवारों में ही इंटरनेट की नियमित पहुँच थी। उच्च शिक्षा संस्थानों में अंग्रेज़ी माध्यम का वर्चस्व। ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र भाषा और संप्रेषण में पिछड़ जाते हैं जिससे आत्मविश्वास कम होता है। शिक्षकों, प्रशासनिक पदों और अनुसंधान में पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व अभी भी न्यून है। SC@ST@OBC वर्ग के शिक्षकों की संख्या कुल शिक्षक संख्या के अनुपात में बहुत कम है। आरक्षण नीति का लाभ सीमित संख्या में छात्रों तक ही पहुँच पाया है। क्रीमी लेयर की समस्या के कारण अत्यंत गरीब

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 01, Issue 01, Jan 2022

और वंचित तबका अब भी पीछे है। सरकारी संस्थानों में आरक्षण लागू होता है, पर निजी विश्वविद्यालयों और विदेशी संस्थानों में इसका अभाव है। पिछड़े वर्गों के छात्रों की भागीदारी अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप, पेटेंट आदि क्षेत्रों में बहुत कम है। यह केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि ज्ञान उत्पादन की प्रक्रिया से भी बहिष्करण को दर्शाता है।

पिछड़ा समाज केवल संख्या की दृष्टि से नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण भागीदारी, सम्मान, और समान अवसरों की दृष्टि से भी उच्च शिक्षा से अभी तक वंचित है। यह वंचना केवल नीति की नहीं, बल्कि व्यवस्था की, समाज की और दृष्टिकोण की भी विफलता है। जब तक इन समस्याओं को बहुआयामी रूप से नहीं समझा जाएगा और उनके समाधान के लिए ठोस प्रयास नहीं होंगे, तब तक उच्च शिक्षा में समानता का सपना अधूरा ही रहेगा।

निष्कर्ष– भारत का लोकतांत्रिक ढाँचा सामाजिक न्याय और समान अवसरों पर आधारित है, परंतु ऐतिहासिक अन्यायों से ग्रसित पिछड़ा समाज आज भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संघर्षरत है। संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार, आरक्षण नीति, और सरकारी योजनाओं के बावजूद यह वर्ग उच्च शिक्षा की मुख्यधारा में पूर्ण भागीदारी नहीं निभा पाया है। जातीय व्यवस्था और सामाजिक वंचना ने पिछड़े समाज को शिक्षा से सदियों तक वंचित रखा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा को समानता का माध्यम माना गया, परंतु सामाजिक–सांस्कृतिक पूर्वग्रहों के कारण पिछड़ा समाज पीछे बना रहा। शहरी–ग्रामीण अंतर, लिंग आधारित विषमता, और संसाधनों की कमी इस असमानता को और गहरा करते हैं। आरक्षण व्यवस्था ने प्रवेश में सहूलियत दी है, परंतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध, और रोजगारपरक शिक्षा की ओर प्रयाप्त ध्यान नहीं दिया गया। सरकारी योजनाओं का लाभ अपेक्षित वर्ग तक नहीं पहुँच पाता। निजी संस्थानों और विदेशी शिक्षा में आरक्षण या सामाजिक न्याय की व्यवस्था का अभाव है। पिछड़े समाज के छात्र विश्वविद्यालयों में अभी भी मानसिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक भेदभाव का सामना करते हैं। आत्महत्या, डिप्रेशन, और अकादमिक छोड़ने की घटनाएँ सामाजिक स्वीकृति की कमी को दर्शाती हैं। उच्च शिक्षा केवल अंकों और प्रमाणपत्रों की बात नहीं, बल्कि सम्मान, पहचान, और समान अवसरों का प्रश्न भी है। उच्च शिक्षा को सामाजिक न्याय का केंद्रबिंदु बनाया जाना चाहिए। सामाजिक पृष्ठभूमि की विविधता को विश्वविद्यालय की समृद्धि और लोकतांत्रिकता का मापदंड माना जाना चाहिए। पिछड़े वर्गों की भागीदारी केवल अनुदान या आरक्षण तक सीमित न रहकर ज्ञान निर्माण, शोध, और नेतृत्व तक पहुँचे, तभी शिक्षा का लोकतंत्रीकरण संभव है।

भारत में पिछड़ा समाज आज भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक बाधाओं से जूझ रहा है। 1947 से लेकर 2021 तक अनेक सुधार हुए, योजनाएँ बनीं, आयोग गठित हुए, परंतु सामाजिक सोच, संरचनात्मक असमानता, और व्यवस्थागत पूर्वाग्रहों ने उनके प्रभाव को सीमित कर दिया। इसलिए ज़रूरत है कि नीति और क्रियान्वयन में समानता हो, संवेदनशील समाजिक वातावरण का निर्माण हो, और संस्थानों को उत्तरदायी और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाया जाए।

पिछड़े समाज की उच्च शिक्षा में भागीदारी केवल एक शैक्षिक प्रश्न नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक न्याय सिद्धांत की परीक्षा है। यदि हम इस वर्ग को समुचित शिक्षा, सम्मान और अवसर नहीं दे पाते, तो राष्ट्र की समग्र प्रगति अधूरी रह जाएगी।

अनुशंसाएँ (Recommendations)–

- पिछड़े वर्गों के लिए विशेष शिक्षा परामर्श केंद्र स्थापित किए जाएँ।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 01, Issue 01, Jan 2022

- शिक्षकों में सामाजिक समानता की संवेदनशीलता बढ़ाई जाए।
- आरक्षण का पुनर्मूल्यांकन, केवल प्रवेश नहीं, उपलब्ध संसाधनों तक भी पहुँच सुनिश्चित हो।
- छात्रवृत्तियाँ स्वचालित प्रणाली से समय पर प्रदान हों।
- मीडिया और समाज में उच्च शिक्षा के लिए प्रेरणा कार्यक्रम चलाए जाएँ।
- ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ाई जाए।
- पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल, इंटरव्यू स्किल, भाषा कौशल की ट्रेनिंग मिले।
- डिजिटल डिवाइड को कम करने हेतु टेक्नोलॉजी एक्सेस प्रोग्राम लागू किया जाए।

भारत में पिछड़े समाज की उच्च शिक्षा तक पहुँच अभी भी एक संघर्ष है। हालाँकि सरकारी प्रयास जारी हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह दर्शाती है कि केवल नीतियाँ पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि जागरूकता, मार्गदर्शन, और समावेशी दृष्टिकोण की ज़रूरत है। जब तक हर वर्ग के छात्रों को समान अवसर, संसाधन और गरिमा नहीं मिलेगी, तब तक शिक्षा के माध्यम से समता केवल एक सपना बनी रहेगी।

संदर्भ सूची–

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2023), AISHE रिपोर्ट
- भारत सरकार, नई शिक्षा नीति 2020
- अंबेडकर, डॉ. बी. आर. (1936), जाति का उन्मूलन
- यादव, रामकुमार (2020), भारतीय समाज और शिक्षा, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
- दूबे, एस. सी. (1990), भारतीय समाज की संरचना
- IGNOU सामग्री, सामाजिक समावेशन एवं शिक्षा
- एन.सी.ई.आर.टी. (2015), सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत
- Thorat, Sukhadeo & Newman] Katherine (2010), Blocked by Caste
- Sen Amartya (2005), The Argumentative Indian
- National Sample Survey Report (NSSO), शिक्षा और सामाजिक समूह आधारित रिपोर्ट।